



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14052026-272529
CG-DL-E-14052026-272529

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2325]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 12, 2026/वैशाख 22, 1948

No. 2325]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 12, 2026/VAISAKHA 22, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 2026

का.आ. 2417(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के नांदेड जिले में NH63 उदगीर रावनकोळा रावी मुक्केरमाबाद गोजेगाव देगलूर और आदमपूर फाटा खातगाव सगरोळी फाटा तक कि.मी. 248.538 से कि.मी. 269.894 तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ी करण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उपविभागीय अधिकारी आणि भूसंपादन अधिकारी, बिलोली को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकृत किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के नांदेड जिले में NH63 उदगीर रावनकोळा रावी मुक्करमाबाद गोजेगाव देगलूर और आदमपूर फाटा खातगाव सगरोळी फाटा तक कि.मी. 248.538 से कि.मी.269.894 (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: नांदेड		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: बिलोली					
गांव का नाम: सगरोळी					
1	364	निजी	एग्रीकल्चर	0.07 (हेक्टेयर)	0.07
2	365	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.08 (हेक्टेयर)	0.08
3	466	निजी	एग्रीकल्चर	0.06 (हेक्टेयर)	0.06
4	467	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	0.05 (हेक्टेयर)	0.05
5	468	निजी	एग्रीकल्चर	0.06 (हेक्टेयर)	0.06
6	469	निजी	एग्रीकल्चर	0.05 (हेक्टेयर)	0.05
7	471	निजी	एग्रीकल्चर	0.09 (हेक्टेयर)	0.09
8	484	निजी	एग्रीकल्चर	0.1 (हेक्टेयर)	0.1
9	485	निजी	एग्रीकल्चर	0.12 (हेक्टेयर)	0.12
10	Gavthan	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.18 (हेक्टेयर)	0.18
गांव का नाम: हिप्परगा थडी					
11	175	निजी	एग्रीकल्चर	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
12	179	निजी	एग्रीकल्चर	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
13	183	निजी	एग्रीकल्चर	0.04 (हेक्टेयर)	0.04
गांव का नाम: केसराळी					
14	15	निजी	एग्रीकल्चर	0.03 (हेक्टेयर)	0.03

15	16	निजी	एग्रीकल्चर	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
16	17	निजी	एग्रीकल्चर	0.06 (हेक्टेयर)	0.06
17	175	निजी	एग्रीकल्चर	0.09 (हेक्टेयर)	0.09
18	18	निजी	एग्रीकल्चर	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
19	184	निजी	एग्रीकल्चर	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
20	224	निजी	एग्रीकल्चर	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
21	225	निजी	एग्रीकल्चर	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
22	226	निजी	एग्रीकल्चर	0.06 (हेक्टेयर)	0.06
23	231	निजी	एग्रीकल्चर	0.04 (हेक्टेयर)	0.04
24	4	निजी	एग्रीकल्चर	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
25	5	निजी	एग्रीकल्चर	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
26	Road	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
गांव का नाम: खतगाव					
27	110	निजी	एग्रीकल्चर	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
28	112	निजी	एग्रीकल्चर	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
29	188	निजी	एग्रीकल्चर	0.09 (हेक्टेयर)	0.09
30	189	निजी	एग्रीकल्चर	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
Total					1.6

[फा. सं RW/NH-12014/90/2024-MAH/Zone-IV/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th May, 2026

S.O. 2417(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH63 Udgir Ravankola Raavi Mukramabad Degloor & Aadampur phata to sagroli fata in the stretch of land from Km. 248.538 to Km. 269.894 (Sub Divisional Magistrate Office, Tahil office Building, 1st floor, Bodhan Road, Biloli) in the district of NANDED in the state of MAHARASHTRA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, SDO & LA Officer, Biloli in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard,

either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH63 Udgir Ravankola Raavi Mukramabad Degloor & Aadampur phata to sagroli fata in the stretch of land from Km. 248.538 to Km. 269.894 (Sub Divisional Magistrate Office, Tahil office Building, 1st floor, Bodhan Road, Biloli) in the district of NANDED in the state of MAHARASHTRA.

State: MAHARASHTRA			District: NANDED		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Biloli					
Village: Sagroli					
1	364	Private	Agriculture	0.07 (Hectare)	0.07
2	365	Government	Non Agriculture	0.08 (Hectare)	0.08
3	466	Private	Agriculture	0.06 (Hectare)	0.06
4	467	Private	Non Agriculture	0.05 (Hectare)	0.05
5	468	Private	Agriculture	0.06 (Hectare)	0.06
6	469	Private	Agriculture	0.05 (Hectare)	0.05
7	471	Private	Agriculture	0.09 (Hectare)	0.09
8	484	Private	Agriculture	0.1 (Hectare)	0.1
9	485	Private	Agriculture	0.12 (Hectare)	0.12
10	Gavthan	Government	Non Agriculture	0.18 (Hectare)	0.18
Village: Hipparga Thadi					
11	175	Private	Agriculture	0.03 (Hectare)	0.03
12	179	Private	Agriculture	0.03 (Hectare)	0.03
13	183	Private	Agriculture	0.04 (Hectare)	0.04
Village: Kesrali					
14	15	Private	Agriculture	0.03 (Hectare)	0.03
15	16	Private	Agriculture	0.03 (Hectare)	0.03
16	17	Private	Agriculture	0.06 (Hectare)	0.06
17	175	Private	Agriculture	0.09 (Hectare)	0.09
18	18	Private	Agriculture	0.03 (Hectare)	0.03
19	184	Private	Agriculture	0.03 (Hectare)	0.03
20	224	Private	Agriculture	0.03 (Hectare)	0.03
21	225	Private	Agriculture	0.03 (Hectare)	0.03
22	226	Private	Agriculture	0.06 (Hectare)	0.06
23	231	Private	Agriculture	0.04 (Hectare)	0.04
24	4	Private	Agriculture	0.02 (Hectare)	0.02
25	5	Private	Agriculture	0.03 (Hectare)	0.03

26	Road	Government	Non Agriculture	0.02 (Hectare)	0.02
Village: Khatgaon					
27	110	Private	Agriculture	0.02 (Hectare)	0.02
28	112	Private	Agriculture	0.01 (Hectare)	0.01
29	188	Private	Agriculture	0.09 (Hectare)	0.09
30	189	Private	Agriculture	0.02 (Hectare)	0.02
Total					1.6

[F. No. RW/NH-12014/90/2024-MAH/Zone-IV/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director